

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2012—चैत्र 11, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. एफ-बी-1-09-2012-2-पांच (20).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (च) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 में, उपनियम (16) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(17) पर्यवेक्षण प्रभार.

(एक) अनुज्ञप्तिधारी, बोतल भराई, इकाई में, अनन्यरूप से पर्यवेक्षण कार्य के लिए पदस्थ किए गए आबकारी कर्मचारीवृन्द के वेतन तथा अन्य दावों पर उपगत व्यय को पूर्ण या आंशिक रूप से चुकाने के लिए, राज्य सरकार द्वारा विहित दर पर पर्यवेक्षण प्रभार का अग्रिम संदाय करेगा.

(दो) पर्यवेक्षण प्रभार, उस जिले में, जहां ऐसी बोतल भराई इकाई स्थित है, वसूल किए जाएंगे.

2. यह अधिसूचना, इसके राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. बी-1-09-2012-2-पांच (20).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-04-2012-2-पांच (20), दिनांक 31 मार्च, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2012

No.F-B-1-09-2012-2-V-(20).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) and (h) of sub-section (2) read with proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely:—

#### AMENDMENT

In the said rules,—

1. In Rule 3, after sub-rule (16) the following new sub-rule shall be inserted, namely:—

#### “(17) Supervision Charges.

- (i) The licensee shall pay in advance, supervision charges at the rate prescribed by the State Government to defray in full or part the expenditure incurred on the salary and other claims of the Excise staff posted to bottling unit exclusively for supervision work.
- (ii) The supervision charges shall be recovered in the District where at such bottling unit is situated.”.

2. This Notification shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
N. K. JAIN, Dy. Secy.